न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 34 / 2020(2020 / 00160)

अनवान : –

शीलादेवी पुत्री काशीराम पत्नी कपूरसिंह जाति जाट निवासी सागड़ा हॉल निवासी मजोद तहसील हांसी जिला हिसार।

प्राथी।

बनाम

1. निहालीदेवी पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
2. रोशनी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री वीरेन्द्र जाखड़ **प्रार्थी**
राज पैरोकार **अप्रार्थीगण**

निर्णय दिनांक : 08/04/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 152 / 151 की कुल 8.096 हैक्टेयर बारानी खातेदारी प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त रूप से 1 / 6 हिस्सा एवं इसी प्रकार चक 8 जेएसएल के खाता संख्या 111 / 109 की 3.467 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला रास्ता में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का संयुक्त रूप से 109 / 6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम शीला देवी दर्ज है।

प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम सिलोचना की बजाऐ शीलादेवी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीया का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेज इत्यादि में प्रार्थीया का नाम शीला देवी दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सागड़ा सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थीया का उपरोक्त जमाबन्दी में शीला देवी की बजाय सिलोचना दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीया अपनी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकती है और उसका बेहतर उपयोग नहीं कर पा रही है। प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम सिलोचना के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम शीला देवी दर्ज करा पाने की मजाज कानूनन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम शीला देवी के स्थान पर सिलोचना दर्ज होने से प्रार्थीया राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया का नाम सिलोचना दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थीया के रोही मौजा चक 9 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 152/151 की कुल 8.096 हैक्टेयर बारानी खातेदारी प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा एवं इसी प्रकार चक 8 जेएसएल के खाता संख्या 111/109 की 3.467 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला रास्ता में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम संयुक्त रूप से 109/6 हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीया का नाम शीला देवी दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट का जवाब प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा चक 9 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 152/151 की कुल 8.096 हैक्टेयर बारानी खातेदारी प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा एवं इसी प्रकार चक 8 जेएसएल के खाता संख्या 111/109 की 3.467 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला रास्ता प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम 109/6 हिस्सा में प्रार्थीया ने अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शीला देवी के स्थान पर सिलोचना दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थीया ने अपनी चित्रप्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेज पेश किये है जिनमें प्रार्थीया का नाम शीला देवी अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 9 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 152/151 की कुल 8.096 हैक्टेयर बारानी खातेदारी प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा एवं इसी प्रकार चक 8 जेएसएल के खाता संख्या 111/109 की 3.467 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला रास्ता में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का संयुक्त रूप से 109/6 हिस्सा में प्रार्थीया का नाम **''सिलोचना के स्थान पर शीला देवी''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए सिलोचना ही प्रभावी मानी जायेगी तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेवार होगी। तहसीलदार ... पालना ... करवायी जावे। ... हो।

निर्णय आज दिनांक 08/04/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:01 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़